

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

राजस्थान स्कूल शिक्षा संकुल, ब्लॉक-0, जयपुर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस, पुतिया के सामने, जयपुर-302017

E-mail: cce.rmsa@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/सीसीई-एसआईक्यूई सामग्री/2019-20/3077 दिनांक : 1/7/2019

कार्यालय आदेश

राज्य में अंचालित समस्त राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) एवं कक्षा 6 के संबंधित विद्यालयों में शैक्षिक स्तर उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में एसआईक्यूई कार्यक्रम के अंतर्गत सीसीई एवं गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कक्षा शिक्षण के दौरान सीखने-सीखाने की प्रक्रिया को गुणवत्ता पूर्ण बनाने हेतु शिक्षकों द्वारा आकलन/एसआईक्यूई सामग्री, यथा - विषयवार, कक्षावार व टर्मवार पाठ्यक्रम विभाजन पुस्तिका, विषयवार व टर्मवार आकलन सूचक अंकन पुस्तिका (चैकलिस्ट), वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका व टर्मवार वार्षिक आकलन प्रतिवेदन प्रयुक्त की जाती रही है। उपरोक्त सामग्री सत्र 2019-20 हेतु अतिदिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है।

अतः समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मुद्रित सामग्री प्राप्त होने तक आवश्यकतानुसार सामग्री नीचे दिये गये लिंक से डाउनलोड करने हेतु समस्त पीईडओ/संस्था प्रमुखों एवं संबंधित शिक्षकों को आदेश जारी कर क्रियान्विति सुनिश्चित करें।

जुलाई के प्रथम सप्ताह में कक्षा 2 से 5 तक संबंधित बच्चों का आधार रेखा/पदस्थापन आंकलन प्राथमिकता के साथ करवाया जाना भी सुनिश्चित करें।

Link	http://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/rajasthan-council-of-elementary-education/en/ccesiquetraining/summervacationteachertraining2018-19class1to5.html
	चेक लिस्ट एड पाठ्यक्रम - अंग्रेजी चेकलिस्ट, अंग्रेजी पाठ्यक्रम, हिंदी चेकलिस्ट, हिंदी पाठ्यक्रम, गणित चेकलिस्ट, गणित पाठ्यक्रम, पर्यावरण चेकलिस्ट, पर्यावरण पाठ्यक्रम, दिवार लेखन - हिंदी - अंग्रेजी - गणित - टीचर बोर्ड वाल
	रिवाइज्ड सी सी मटेरियल फॉर 2018-19 - स्कूल असेसमेंट रजिस्टर टीचर प्लानिंग डायरी

उपरोक्त सामग्री शीघ्र ही आवश्यक प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के उपरांत उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(Signature)

(डा. एन.के. गुप्ता)

राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/सीसीई-एसआईक्यूई सामग्री/2019-20/3077 दिनांक : 1/7/2019
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सहायक, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सहायक, अति. राज्य-परियोजना निदेशक-द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निदेशक, एसईआरटी, उदयपुर।
5. उपयुक्त शाला दर्पण को पत्र देकर लेख है कि उपर्युक्त सामग्री के लिंक को पोर्टल के होम पेज पर अद्यतित किया जाना सुनिश्चित करें।
6. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
7. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्राथमिक समस्त जिले।
8. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त, समस्त जिले।
9. प्राचार्य डाईट समस्त जिले।
10. कार्यालय प्रति।

समस्त CBED साहवाग पत्र की अनुमूलना

सुनिश्चित करावे।

अति. जिला परियोजना समन्वयक
उपायुक्त-द्वितीय
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समस्त शिक्षा अभियान

(Signature)

दि. 2-7-19

Scanned by CamScanner